PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Monday, 4th April 2011, Page: 5
Width: 7.83 cms Height: 3.64 cms, Ref: pmin.2011-04-04.46.21

औषधि नियमों में सुधार की जरूरत

नई दिल्ली। देश में दवा निर्माण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने और फार्मेसी शिक्षा को सरल और कारगर बनाने के लिए इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन ने व्यापक सुधारों की बात कही है। जिसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में सुधार भी शामिल हैं, जो कि आजादी से पहले 1945 में बनाया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ऑस्कर फर्नांडिज ने कहा कि औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम में सुझाव व बदलाव की जरूरत है।